संख्या-1/2024/1/719714/2024/31-1099/18/2022-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग लखनऊः दिनांक 16 अगस्त, 2024

विषयः माह अप्रैल, 2022 में मंत्रिमण्डल के समक्ष विभागों द्वारा प्रस्तुत 100 दिवस, 06 माह, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष का रोडमैप/कार्ययोजना का अनुश्रवण।

महोदय,

कृपया कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-1/299486/2023-31-1099/18/2022, दिनांक 10 अप्रैल, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह अप्रैल, 2022 में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) के पंचमतल स्थित मा0 मंत्रिपरिषद कक्ष में मंत्रिमण्डल के समक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत 100 दिवस, 06 माह, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष के रोडमैप/कार्ययोजना का अनुश्रवण एवं CMIS पोर्टल पर 01 करोड़ अथवा उससे अधिक लागत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ससमय पूर्ण कराने हेतु सेक्टरवार प्रभारी अधिकारी नामित किए गए हैं। नामित सेक्टर प्रभारी अधिकारी में से कतिपय सेक्टर प्रभारी अधिकारी के सेवानिवृत्त एवं स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप राजस्व संग्रह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के प्रभारी अधिकारी परिवर्तित किए गए हैं।

2- उक्त शासनादेश द्वारा नामित सेक्टर प्रभारी अधिकारियों में संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों द्वारा मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये रोडमैप/कार्ययोजना के अनुश्रवण एवं CMIS पोर्टल पर 01 करोड़ अथवा उससे अधिक लागत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ससमय पूर्ण कराने हेतु निम्नानुसार सेक्टरवार प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है:

क्र0	सेक्टर हेतु नामित प्रभारी अधिकारी	सेक्टर का नाम	विभाग
1	श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण, एन.आर.आई. एवं संस्थागत वित्त
2	श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, कृषि उत्पादन आयुक्त	कृषि उत्पादन	कृषि, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेशम विकास, गन्ना विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, सिंचाई एवं जल संसाधन एवं सहकारिता
3	श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	सामाजिक सुरक्षा	समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, श्रम, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप
4	श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	नगरीय विकास	आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
5	श्री हिमांशु कुमार, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास	ग्राम्य विकास	ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति एवं राजस्व
6	श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, वित्त	राजस्व संग्रह	राज्यकर, कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन), आबकारी, परिवहन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म
7	श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा	शिक्षा	बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं खेल
8	श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, गृह	विविध	गृह, कारागार प्रशासन एवं सुधार, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक, होमगाड्र्स एवं युवा कल्याण
9	श्री पार्थसारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन
10	श्री मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति	पर्यटन एवं संस्कृति	पर्यटन एवं संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, सूचना एवं भाषा

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपरोक्तानुसार सेक्टरवार नामित प्रभारी अधिकारी उक्त शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल 2023 में दी गई व्यवस्थानुसार मासिक समीक्षा/अनुश्रवण करेंगे।

4- आपसे अपेक्षा है कि कृपया सभी सेक्टर प्रभारी अधिकारी 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष का रोडमैप/कार्ययोजना की प्रगति की समीक्षा कर लें। इसके अतिरिक्त अपने-अपने सेक्टर में सम्बन्धित विभागों के अधीन विभिन्न संस्थानों में कार्यरत विषयवस्तु विशेषज्ञ/विभागों के साथ अन्य योजनाओं में आबद्ध विभिन्न विशेषज्ञों/प्रदेश में सेवाएं देने के इच्छुक वाह्य विशेषज्ञों को नामित कर लें। नामित विषय विशेषज्ञों की सूची कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

<u>तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।